ब्रह्मपुत्र बोर्ड

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना बाढ़ और ब्रह्मपुत्र घाटी में तट–कटाव नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी कार्यों के लिए आयोजना तथा उपायों का एकीकृत कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम अर्थात ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46वां) के अधीन भारत सरकार द्वारा सिंचाई मंत्रालय (जिसे अब जल संसाधन मंत्रालय का नाम दे दिया गया है) के अधीन की गई थी। बोर्ड ने गुवाहाटी में स्थित अपने मुख्यालय से 11.1.1982 से काम करना आरम्भ कर दिया। बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक––दोनों घाटियों के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य पूर्णतः या अंशतः शामिल हैं। बोर्ड के प्रमुख कार्य हैंः

(1) ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वेक्षण और जांच करना तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट–कटाव के नियंत्रण और जल निकासी में सुधार के लिए एक मास्टर योजना तैयार करना;

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मास्टर योजना में प्रस्तावित बांधों और अन्य परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्टें और अनुमान तैयार करना तथा प्रत्येक मामले में विभिन्न प्रयोजनों अथवा प्रयोगों के कारण लगने वाली लागत निर्दिष्ट करना।

(3) इस तरह के बांधों और अन्य परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मानक तथा विशिष्टियां तैयार करना;

(4) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित मास्टर योजना में प्रस्तावित बहुद्देश्यीय बांधों तथा तत्सम्बन्धी कार्यों का निर्माण करना और इस तरह के बांधों तथा निर्माण कार्यों का अनुरक्षरण करना और उन्हें प्रचालित करना।

सामान्य क्रियाकलापः

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने निम्न कार्य पूरे कर लिए हैंः

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य शाखा के लिए मास्टर योजना भाग I तथा बराक नदी और उसकी वितरिकाओं के लिए भाग II तैयार कर लिए हैं जिन्हें भारत सरकार ने 1997 में मंजूरी दे दी थी।

मास्टर योजना III के अधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक तथा त्रिपुरा की नदियों की वितरिकाओं पर 49 उप–बेसिन मास्टर योजनाएं अभिज्ञात कर ली हैं। इनमें से भारत सरकार ने 32 योजनाओं को मंजूरी दे दी है और बाकी तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 34 जल निकासी विकास योजनाओं की पहचान की जिसमें से 9 योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं और शेष 23 तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं। जिन 9 योजनाओं के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है उनमें से 2 का विस्तार किया जा रहा है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 15 बहुद्देश्यीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण, जांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का काम हाथ में लिया जिनमें से 5 परियोजनाओं अर्थात सुबनसिरी,

दिहांग (एनएचपीसी को सौंप दी गई) तिपाईमुख (निप्को को सौंप दी गई), बैराबी (मिजोरम सरकार को सौंप दी गई) तथा पगलादिया जो कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, उसकी डीपीआर पूरी कर ली गई है और बाकी परियोजनाएं तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।

निर्माण क्रियाकलाप

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने निम्न परियोजनाएं/योजनाएं हाथ में ली हैं:

हरांग जल निकास विकास स्कीम

पगलादिया बांध परियोजना

असम में माजुली द्वीप के लिए नई स्कीम, दिबांग परियोजना आदि

धौल्ला–हाथीघुली परियोजना (चरण I तथा II)

माजुली द्वीप को बाढ़ और कटाव से बचाने के लिए तात्कालिक उपाय

बोरभाग जल निकास विकास स्कीम

माजुली द्वीप को बाढ़ और कटाव से बचाने के लिए दीर्घकालीन उपाय चरण–I

ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में गंभीर बाढ़ नियंत्रण और कटाव–विरोधी स्कीम–स्कीमें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी और मानीटरी ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा की जाएगी।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधीन योजनागत स्कीमें

ब्रह्मपुत्र बोर्ड स्कीम को सहायता अनुदान

निम्न कार्य करने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड की यह एक सतत स्कीम है:

- ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी परियोजनाओं के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करना।
- जल निकासी विकास स्कीमों के लिए सर्वेक्षण, जांच और डीपीआर तैयार करना।
- बहुद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण, जांच और डीपीआर तैयार करना।
- दि नार्थ ईस्टर्न हाइड्रोलिक एण्ड ऐलाईड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (नेहारी) का कतिपय विशेषज्ञतापूर्ण उपस्करों द्वारा स्तरोन्नयन करना ताकि उसे एनईआर में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित सभी प्रकार की नींव जांच और सामग्री परीक्षण के योग्य बनाया जा सके।

10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड को 102 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है जिसमें से 21.76 करोड़ रुपए 2005–06 के लिए नियत कर दिए गए हैं। लगभग 70% खर्च वेतन और स्थापना सम्बन्धी मदों पर हो जाता है। दसवीं योजना के पहले तीन वर्षो में 48.14 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

हरांग जल निकास विकास स्कीम

उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने के लिए 4.9 करोड रुपए की अनुमानित लागत पर एक मार्गदर्शी स्कीम के रूप में 1991 में मंजूर की गई यह स्कीम एनईसी द्वारा निधियां उपलब्ध न कराए जाने के कारण कार्यान्वित नहीं की जा सकी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 10. 81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर यह स्कीम नौवीं योजना में हाथ में ली। तथापि डिजाइन पैरामीटरों में बदलाव के कारण अनुमान बदलने पड़े। 30.49 करोड़ रुपए राशि के संशोधित अनुमान

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा मंजूर किए जा चुके हैं। ब्रह्मपुत्र द्वारा कार्यान्वयन के लिए नौवीं योजना में हाथ में ली गई इस स्कीम का निष्पादन प्रगति पर है। पूरा हो जाने पर इस स्कीम से 8,300 परिवार लाभान्वित होंगे तथा यह स्कीम कृषि क्रियाकलापों के लिए अप्रैल–सितम्बर के बीच 79 वर्ग किलोमीटर और अक्टूबर और मार्च के बीच 39.5 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराएगी। यह स्कीम शीघ्र पूरा होने को है।

स्कीम के निम्न घटक हैं:

- दो स्लूसों का निर्माण
- मौजूदा नहर का रि–सेक्शनिंग
- स्लूसों को जोड़ने वाले तटबन्ध का निर्माण

वर्ष–वार वित्तीय और वास्तविक प्रगति

वर्ष	**वित्तीय (करोड़ रुपए में)**	**वास्तविक**
1997-98	1.000	-
1998-99	0.240	4%
1999-2000	3.540	6%
2000-01	4.290	10%
2001-02	1.850	10%
2002-03	5.000	18%
2003-04	10.13	22%
2004-05	4.44	25%
योग	30.49	95%

पगलादिया बांध परियोजना

भारत सरकार ने 542–90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पगलादिया बहुद्देश्यीय बांध परियोजना के निर्माण और निष्पादन को जनवरी, 2001 में मंजूरी प्रदान कर दी थी और यह परियोजना दिसम्बर, 2007 तक पूरी हो जानी थी। परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ब्रह्मपुत्र

बोर्ड ने ले ली थी। 1992 में तैयार की गई डीपीआर के अनुसार परियोजना में पगलादिया नदी के पार ढालदार उत्प्लाव सहित ओंगी के साथ 26.20 मीटर ऊंचा और 23 किलोमीटर लम्बा मिट्टी के बांध का निर्माण किया जाना है। डीपीआर अवस्था पर डिजाइन और ड्राइंग केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा तैयार की गई थी। परियोजना का उद्देश्य बाढ़ का उपशमन करना, 54,160 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करना और विद्युत (3 मेगावाट) उत्पन्न करना है।

परियोजना के लिए पुनर्स्थापना और पुनर्वास पर दृष्टि रखने और उसे कार्यान्वित करने के लिए असम सरकार के आयुक्त और सचिव (राजस्व) के अधीन एक पुनर्वास और पुनर्स्थापना समिति का गठन किया गया था। सरकार ने पुनर्स्थापना और पुनर्वास के लिए 3256 हैक्टेयर क्षेत्र की कुल मांग के सम्बन्ध में 33 स्थानों पर 956 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया। असम सरकार ने नवम्बर, 2002 से मार्च, 2003 के बीच 37 गांवों में भूमि अभिग्रहण अधिसूचना जारी कर दी जो कि जलप्लावन के कारण प्रभावी होगी। राज्य सरकार द्वारा भूमि का अभिग्रहण किया जाना बाकी है।

परियोजना की लागत बढ़ाकर 1069.40 करोड़ रुपए (जनवरी, 2004 के मूल्य स्तर पर) कर दी गई है। लागत में वृद्धि के पीछे मुख्य कारण मूल्य वृद्धि, डिजाइन/मात्रा में बदलाव तथा अतिरिक्त मांग है। अगस्त, 2003 में सचिव (जल संसाधन)/अपर सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया जिसके सदस्यों में योजना आयोग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट (जनवरी, 2004 में) में लागत और समय में अधिकता की स्थिति की समीक्षा की। समिति का ऐसा मानना था कि मौजूदा डिजाइनों की पुष्टि आवश्यक जांच के आधार पर हुई है जिसकी परिकल्पना पीआईबी द्वारा मार्च, 2000 में लागत अनुमानों की मंजूरी देती समय की गई थी। पीआईबी बैठक में यह कहा गया था कि इससे पूर्व कि परियोजना का कार्यान्वयन हाथ में लिया जाए परिव्यय डिजाइन अद्यतन भू–वैज्ञानिक तथा जल–वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित होंगे। यह भी माना गया कि परियोजना हाथ में लेने में हुई देरी का कारण यह था कि परियोजना और साथ ही आर एण्ड आर प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि मुहैया नहीं कराई गई थी। इसलिए समिति ने यह सिफारिश की कि राज्य सरकार को भूमि अभिग्रहण की कार्रावई में तेजी लानी चाहिए और परियोजना यह सुनिश्चित करने के बाद ही पूरे जोर–शोर से कार्यान्वित की जानी चाहिए कि भूमि, ऐग्रीगेट्स तथा आर एण्ड आर के कार्यान्वयन के लिए एक दृढ़ समय–सूची, पर्यावरणात्मक सुरक्षा योजना तथा स्वयं परियोजना की ही समग्र कार्यान्वयन योजना सहित संसाधनों की उपलब्धता को लेकर पूरी तैयारी हो। संशोधित लागत प्रस्ताव के अनुसार परियोजना मार्च, 2008 तक पूरी होनी चाहिए।

परियोजना का कार्यान्वयन जिरात सर्वेक्षण (सम्पत्ति मूल्यांकन) पर निर्भर करता है जो कि राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा यह मामला असम सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। पगलादिया बांध परियोजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में असम सरकार ने हाल ही में एक मंत्रिमण्डल समिति का गठन किया है जो कि जिरात सर्वेक्षण आदि के पूरा न होने से जुड़े बकाया मुद्दों की जांच करेगी और उनका समाधान करेगी। मंत्रिमण्डल समिति की पहली बैठक 22.4.05 को हुई थी जिसके कार्यवृत्त की प्रतीक्षा है।

संशोधित लागत सहित पीआईबी का ज्ञापन मूल्यांकन अभिकरणों के बीच जून, 2004 में परिचालित किया गया और 22.9.2004 के लिए निश्चित की गई पीआईबी बैठक स्थगित कर दी गई। बकाया जिरात सर्वेक्षण के चलते परियोजना की संशोधित लागत पर विचार करने के लिए पीआईबी की आगामी बैठक भी रुकी पड़ी है।

वर्ष–वार प्रदत्त की गई निधियां

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	प्रदान की गई राशि
2000-01	24.82
2001-02	17.50
2002-03	0.000
2003-04	–07-50*
2004-05	–06.50* 1.00
योग	29.32

*ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पास पड़ी हुई व्यय न की गई निधि जल संसाधन मंत्रालय को लौटा दी गई थी।

असम में माजुली द्वीप के लिए नई स्कीम, दिबांग परियोजना

इस स्कीम के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में 42 करोड़ रुपए (जिसे बढ़ाकर 76.56 करोड़ रुपए किए जाने की संभावना है) आबंटित किए गए हैं। स्कीम का एक घटक अर्थात "ब्रह्मपुत्र नदी का धौला हाथीधुली पर अपदारण" चरण–I 10.47 करोड़ रुपए की लागत पर जनवरी, 2003 में मंजूर किया जा चुका है और उसे ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू कर दिया गया है। शेष राशि के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 24.81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 'जल निकास विकास स्कीम' तथा 'नई कटाव–विरोधी स्कीमें' पर एक एसएफसी और माजुली द्वीप चरण–I की सुरक्षा के लिए 41.28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक ईएफसी तैयार किया है। एसएफसी तथा ईएफसी को भारत सरकार ने क्रमशः जनवरी, 2004 और जनवरी 2005 में मंजूरी दे दी है। इनमें निम्न स्कीमें शामिल हैः

(रुपए करोड़ों में)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	राज्य	अनुमानित लागत
I.	ब्रह्मपुत्र का धौला–हाथीधुली में अपदारण चरण II	असम	5.22
II.	बाढ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा (तात्कालिक उपाय)	–वही–	6.22

III.	ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से उत्तरी गुवाहाटी टाउनशिप (रंगमहल) की सुरक्षा	–वही–	3.05
IV.	बोरभाग जल निकास विकास स्कीम	–वही–	7.23
V.	धनसिरी नदी पर दीमापुर में स्थिति कुशियाबिल और दुर्गजन गांव की सुरक्षा के लिए कटाव–विरोधी उपाय	नागालैण्ड	0.85
VI.	माजुली द्वीप की बाढ़ और कटाव से सुरक्षा (दीर्घकालीन उपाय)	असम	41.28

इस स्कीम के अधीन 31.3.2005 तक 21.65 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

उपर्युक्त अनुमोदित स्कीमों की स्थिति निम्नानुसार हैः

(i) धौला–हाथीघुली परियोजना (चरण I तथा II)

'धौला–हाथीघुली पर ब्रह्मपुत्र नदी का अपदारण' चरण I का कार्य निष्पादन के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 10.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जनवरी, 2003 में और चरण II 5.22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जनवरी, 2004 में हाथ में लिया था। परियोजना का चरण I पूरा हो जाने के फलस्वरूप 2003 के दौरान हाथीघुली में अनेक गांव बाढ़ से बच गए थे और धौला से लेकर रोमेरिया तक के समूचे दक्षिणी तट को बाढ़ का प्रकोप नहीं सहना पड़ा।

(ii) माजुली बाढ़ और कटाव समस्या

माजुली बाढ़ और कटाव की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन और दीर्घकालीन आधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक अल्पकालीन उपायों का सम्बन्ध है ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है जिसमें जल संसाधन विभाग, असम सरकार, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह समिति माजुली द्वीप की सुरक्षा के निमित्त तात्कालिक कटाव–विरोधी उपायों की पहचान करेगी और उनका सुझाव देगी। समिति की सिफारिश पर समिति ने माजुली द्वीप के निमित्त तात्कालिक कटाव–रोधी उपाय हाथ में लेने के लिए 6.22 करोड़ रुपए की एक स्कीम तैयार की है। स्कीम के पूरा होने पर माजुली द्वीप की बाढ़ और कटाव की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। अधिकांश कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं।

जहां तक दीर्घकालीन उपायों का सम्बन्ध है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने माजुली द्वीप को बाढ़ और कटाव से बचाने के लिए 86.56 करोड़ रुपए की एक डीपीआर तैयार की। यह स्कीम चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित की जाएगी। कार्यों का कुछ हिस्सा प्रायद्वीप के समग्र दुर्बल खण्ड के माडल अध्ययनों पर निर्भर है। 41.28 करोड़ रुपए की लागत के चरण I के कार्यों को (जो कि माडल अध्ययनों पर निर्भर नहीं है) भारत सरकार ने जनवरी, 2005 में मंजूरी दे दी है और उन्हें ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने हाथ में ले लिया है। शेष कार्य माडल अध्ययनों की सिफारिश पर हाथ में लिए जाएंगे।

क्रम संख्या iii, iv और v पर दी गई स्कीमें भी दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करने एवं पूरा करने का विचार है।

ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में गंभीर बाढ़ नियंत्रण स्कीम

राज्य क्षेत्र के अधीन ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में गंभीर बाढ़ नियंत्रण और कटाव–विरोधी स्कीमें हाथ में लेने के निमित्त केन्द्रीय सरकार के हिस्से (90% अनुदान और 10% ऋण) के रूप में सीसीईए ने 150 करोड़ रुपए की मंजूरी के प्रस्ताव को नवम्बर, 2004 में मंजूरी दे दी। ये स्कीमें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी और मानीटरी ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा की जाएगी।

सीसीईए की अनुमोदित टिप्पणी के अनुसार निधियों का आबंटन निम्नानुसार हैः

(रुपए करोड़ों में)

राज्य	2004–2005	2005–2006	2006–2007	योग
असम	10.80	37.20	33.0	81.00
अरुणाचल प्रदेश	2.00	6.80	6.23	15.03
त्रिपुरा	2.00	6.80	6.24	15.04
नागालैण्ड	0.6	2.20	1.53	4.33
मणिपुर	1.00	3.60	3.00	7.60
मिजोरम	0.6	2.40	1.50	4.50
सिक्किम	1.20	4.30	3.50	9.00
मेघालय	0.6	2.40	1.50	4.50
पश्चिम बंगाल (उत्तरी बंगाल)	1.20	4.30	3.50	9.00
योग	20.00	70.00	60.00	150.00

वर्ष 2004–05 के लिए वित्त मंत्रालय ने 11.40 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी की।

2005-06 के बजट प्रस्तावों के अनुसार 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

राज्य क्षेत्र के अधीन ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी स्कीम
(रुपए करोड़ों में)

राज्य	स्कीम में कुल प्रावधान	उन स्कीमों की संख्या जिन्हें प्राथमिकता दी गई है और जिनका वित्तपोषण किया जाना है	2004–05 में वित्तपोषित स्कीमों (कालम 3 में दी गई स्कीमों में से) की संख्या	कालम 4 में दी गई स्कीमों के लिए वितपोषित की जाने वाली कुल राशि	2004–05 में पहले से ही प्रदान की जा चुकी राशि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
असम	81.00	35	21	30.16	9.30	सभी 35 स्कीमें चालू स्कीमें है जिनके लिए अपेक्षित खर्च का वित्तपोषण किया जा रहा है
त्रिपुरा	15.04	3	2	10.45	1.50	
मणिपुर	7.60	2	-	-	-	
मेघालय	4.50	1	-	-	-	
सिक्किम	9.00	1	-	-	-	
अरुणाचल प्रदेश	15.03	3	-	-	-	
मिजोरम	4.50	1	1	7.11	0.60	
नागालैण्ड	4.33	1	-	-	-	
पश्चिम बंगाल	9.00	3	-	-	-	

(उत्तरी बंगाल)						
योग	150.00	50	24	47.72	11.40	

उन स्कीमों की सूची जिन्हें राज्य क्षेत्र के अधीन ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी स्कीम के अन्तर्गत प्राथमिकता दी गई है और जिनका वित्तपोषण किया गया है

असम (सभी स्कीमें चालू हैं) (रुपए करोड़ों में)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	चालू स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट मौजूदा लागत	वर्ष 2004–05 के लिए प्रदान की गई राशि
1.	नमदंग मुहाने से दिखोमुख तक विभिन्न खण्डों पर दिखोबन्ध एल/बी के विस्तारण सहित ए/ई उपाय	3.99	1.04	0.25
2.	ए/ई कार्यों सहित जेबी रोड से चेंगेलीहाती तक भुगदोई एल/बी को आर/एस	4.38	1.51	0.40
3.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से धकुआखाना सहित मतमारा क्षेत्रों की रक्षा चरण I (बुलहेडों के निर्माण सहित)	5.98	2.5	0.40
4.	कालोंग नदी के साथ–साथ राहा से जागी आर/बी तक तथा अजराबारी से रेलवे पुल एल/बी तक बाढ़ तटबन्ध को आर/एस चरण I (संशोधित)	3.28	1.61	0.62
5.	गरल से लेक मजिरगांव तक गरल क्षेत्र के ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से सुरक्षा चरण I	3.37	1.72	0.42
6.	अश्वक्लान्त पर्वतमाला से दिहिंग सत्तारा तक उत्तरी गुवाहाटी के विभिन्न खण्डों पर ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय कटाव के विरुद्ध ए/ई उपाय	4.31	0.33	0.33
7.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से लरकुची क्षेत्र को बचाने के लिए ए/ई उपाय (अदाबारी से कुकारजान	4.17	2.2	0.40

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	चालू स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट मौजूदा लागत	वर्ष 2004–05 के लिए प्रदान की गई राशि
	तक बी/डाइक के दाहिने तट पर 29वें किलोमीटर पर दरार पाटना और सुरक्षा कार्य)			
8.	ब्रह्मपुत्र नदी के डी/एस की तरफ स्टोन स्पर संख्या 2 पर गोलपाड़ा शहर की सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार	3.48	1.0	0.40
9.	रेलवे लाइन से बी/बी पीडब्ल्यूडी रोड तक आर/बी पर और एल/बी पर नाउकची गांव तक पोहुमारा के बी/बी के साथ–साथ एम/ई का आर/एस	3.3	1.0	0.25
10.	बारपेटा कस्बे में हरिजन नहर खोलना	3.17	3.0	0.20
11.	शिव मन्दिर से सिक्ख मन्दिरों स्टोन स्पर संख्या 3 और 7 तक ढुबरी कस्बे के सुरक्षा कार्यों का सुदृढ़ीकरण जिसमें 280 मीटर खण्ड के लिए टाइमबेर डैम्पनर संख्या 225 के बीच प्रस्तरण और एप्रन का निर्माण शामिल है	3.88	1.0	1.00
12.	ब्रह्मपुत्र नदी और जिंजीराम के कटाव से हथसिंगीमणि और इसके निकटवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ए/ई (संशोधित)	4.29´	2.0	0.30
13.	उत्तर कृष्णापुर से तारापुट तक नहर 16780 मीटर से 17250 मीटर तथा नहर 19946 से 22740 मीटर तक बराक नदी के बाएं तट के साथ–साथ बाढ़ तटबन्ध का सुधार	3.32	3.0	0.20
14.	कटखल नदी के बाएं तट पर (2590 मीटर से 3060 मीटर तक)	5.04	1.0	0.50

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	चालू स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट मौजूदा लागत	वर्ष 2004–05 के लिए प्रदान की गई राशि
	कटाव से कतिलीचारा बाजार की सुरक्षा			
15.	गनीग्राम से कटीगरघ तक बराक के दाएं तट के साथ–साथ बराक डाइक को आर/एस चरण III (नहर 18000 मीटर से 24150 मीटर)	3.2	0.75	0.25
16.	बोवराताल से फेतंगामापारन क्षेत्र पर कहारकुजा से बालीकुची तक बी/डाइक की नहर 19.46 किलोमीटर से 24.60 किलोमीटर तक रिटायरमेंट का निर्माण	3.11	0.5	0.50
17.	सिमुलागुरी और नाजिरा के निकट विभिन्न खण्डों पर दिखो बी/बी के ए/ई उपाय	3.45	0.5	0.50
18.	दरबार क्षेत्र से दिखोमुख तक दिखो आर/बी तटबन्ध का आर/एस जिनमें एईउपाय चरण II शामिल हैं	3.37	0.5	0.50
19.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से पलासबारी कस्बे की सुरक्षा	21.04	2.0	0.90
20.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से नागाघुली और मैजान क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ए/ई उपाय	10.74	1.0	0.38
21.	पलासबारी कस्बे से गुमी तक नहर 19500 मीटर से 21200 मीटर तक एल/वी पर बी/डाइक का सुदृढ़ीकरण और साथ ही नहर 19690 मीटर से 20280 मीटर तक तथा 20490 मीटर से 20590 मीटर तक ए/ई उपाय	4.07	2.00	0.60
	योग			9.30

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	चालू स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट मौजूदा लागत	वर्ष 2004–05 के लिए प्रदान की गई राशि

त्रिपुरा

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ों में)	वर्ष 2004–05 के लिए प्रदान की गई राशि
1.	धलाई में सलेमा ब्लाक के अधीन कमलपुर कस्बे की बाढ़ से सुरक्षा	6.265	0.75
2.	खोवाई कस्बे में खोवाई नदी के कटाव से खोवाई कस्बा तटबन्ध की सुरक्षा और रेमाचेर्रा प्रस्तरण कार्य	4.1876	0.75
	योग		1.50
मिजोरम क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ों में)	वर्ष 2004–05 के लिए प्रदान की गई राशि
1.	आइजवाल कस्बे के भीतर तीन बस्तियों में कटाव/भूस्खलन/भूधंसान पर नियंत्रण	7.11	0.60